न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : बृजेश कुमार,आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 198 / 2021

उनवान

1. बलबीर चौधरी पुत्र कैलाश चन्द जाति जाट निवासी कोटपुतली जिला जयपुर।
2. रोहिताश सिंह पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी बड़गाव तहसील नारनौल।

......प्रार्थीगण...

बनाम

1. मैसर्स जय हनुमान स्टोन क्रेशर भगेश्वर डोकन तह. नीमकाथाना जरिये प्रोपराईटर सुनिल यादव
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

.......अप्रार्थीगण..

प्रार्थना पत्र धारा 251 रा. का. अधि. 1956

निर्णय दिनांकः– 05.08.2021

उपस्थित :– 1. श्री पवन सैनी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रोशन अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 467 / 845 , 478, 479, 483 किता 4 रकबा 2.28 है0 ग्राम भगेश्वर तह. नीमकाथाना की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जिस पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहे हैं। भूमि खसरा नम्बर 480, 481, 482, 487, 488, 492 किता 6 रकबा 1.20 है. ग्राम भगेश्वर तह. नीमकाथाना की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 791 रकबा 1.57 है. किस्म बंजड राजकीय सिवाय चक खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड हैं। भूमि खसरा नम्बर 798 नीमकाथाना–कोटपूतली स्टेट हाईवे मुख्य डामर सडक हैं। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 791 में से आवाजाही करते हैं। किन्तु इस राजकीय भूमि ख.न. 791 व प्रार्थीगण की भूमि ख. न. 479 के बीच में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.न. 480 स्थित है जिसमें से प्रार्थीगण पैदल आवाजाही करते है। फसल बीजाई कटाई व अन्य कृषि ट्रेक्टर उंट गाडी आदि को खेत तक ले जाने के लिये अप्रार्थी सं 1 को निवेदन करने पर काफी मन्नते करवाने के पश्चात अनुमति देता आ रहा था। जिससे प्रार्थीगण अपना कृषि कार्य कर पा रहे थे। पिछले दिनों दिनांक 24.03.2021 को प्रार्थीगण फसल कटाई के बाद

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अपनी भूमि में सुधार कार्य करवाने हेतु ट्रेक्टर व प्लाव ले जा रहे थे अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के ट्रेक्टर को रोक लिया जिससे भूमि में सुधार कार्य नहीं कर सके। अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अनुरोध करने पर उन्होंने कथन किया कि रा. का. अधि. 1956 की धारा 251 (क) में प्रावधान है कि आप सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। नीमकाथाना–कोटपुतली मुख्य सडक व प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 479 के मध्य भूमि खसरा नम्बर 791 व 480 स्थित हैं जिसमें से संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये अनुसार 10 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित हैं ताकि प्रार्थीगण सुगमता पूर्वक अपना कृषि कार्य करते रहे एवं अपने कृषि अधिकारों को उपयोग कर अपना जीवन यापन कर सके। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम रास्ता हैं। चाहे गये रास्ते के एवज में प्रार्थीगण नियमानुसार राशि अथवा भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत एवं तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर व भूमि खसरा नम्बर 791 व 480 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 10 मीटर चौडा रास्ता जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया हैं, राजकीय गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र व जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। तहसीलदार नीमकाथाना को प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम की प्रति भेजी जाकर रास्ते के सम्बंध में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 से 4 को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 में प्रार्थीगण की पैदल आवाजाही एवं आवश्यक्ता पडने पर ट्रेक्टर आदि जाना किया शेष कथन को अस्वीकार करते हुये अंकित किया कि प्रार्थीगण रोजाना उत्तरदाता की भूमि से होकर अनावश्यक रूप से वाहन ट्रेक्टर आदि की आवाजाही कर उत्तरदाता की काश्त एवं भूमि को खुर्द बुर्द करते है। उत्तरदाता की भूमि ख.न. 481 मे जाने के लिए उत्तरदाता के पास कोई रास्ता नही है, क्योकि मुख्य सड़क व उत्तरदाता की भूमि 481 के मध्य सीध में राजकीय भूमि ख.न. 791 में अन्य लोगो का अतिक्रमण होकर कब्जा काश्त है जिस कारण ख.न. 481, 482 में कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर व अन्य कृषि सयंत्र नही ले जा पा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 479 में पूर्व में ट्रेक्टर व अन्य कृषि सयंत्र उत्तरदाता अपनी खातेदारी भूमि ख.न. 481 व 482 में ले जाता था दिनांक 24.3.2021 को प्रार्थीगण ने उत्तरदाता के ट्रेक्टर को ख.न. 479 में जाने से रोक दिया था, जिस कारण ही उत्तरदाता ने प्रार्थीगण के ट्रेक्टर को ख.न. 480 में जाने से रोक दिया। यदि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

ख.न. 479 की पूर्वी सीमा के सहारे 10 मीटर चौड़ा रास्ता उत्तरदाता के खेत ख.न. 481 के दक्षिणी हिस्से तक देने को तैयार है तो उत्तरदाता को मद नं. 9 में चाही गया अनुतोष दिये जाने में कोई एतराज नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से सलंग्न नक्शे अनुसार उत्तरदाता को रास्ता देने हेतु सहमत है तो उत्तरदाता नाप जोख अनुसार भूमि की कमी बेसी अनुसार राशि देने अथवा लेने हेतु सहमत है। जबाब प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शे में लाल रंग की स्याही से दर्शाये गये रास्ते अनुसार उत्तरदाता को अपनी भूमि ख.न. 481 में जाने हेतु रास्ता दिया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व काउन्टर प्रार्थना पत्र उत्तरदाता स्वीकार किया जाकर भूमि ख.न. 791 एवं 480 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर चौड़ा रास्ता एवं इसी अनुरूप प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.न. 479 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर चौडा रास्ता जिसे सलग्न नक्शे में हरे रंग से दिखाया गया है राजकीय गैर मुमकीन रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये जावें।

तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुये बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 467/845, 478, 479, 483 ग्राम भगेश्वर में कृषि कार्य हेतु आने जाने व साधन ले जाने के लिए एक मात्र वैकल्पिक रास्ता ख.न. 791 व 480 में से होकर ही है मौके पर अन्य कोई रास्ता नही है। ख.न. 480 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि ख.न. 481 में कृषि कार्य के लिये संसाधन ले जाने हेतु हमारी खातेदारी भूमि ख.न. 479 मे से रास्ता चाहा गया है जिसे हम देने हेतु सहमत है। तहसीलदार नीमकाथाना से रास्ते के सम्बंध में प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 दौनो ही पक्षों द्वारा चाहे गये रास्ते प्रस्तावित किये है। अतः तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित रास्ता गै.मु.रास्ता घोषित किया किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। मेरी खातेदारी भूमि ख. न. 480 में से 165 मीटर भूमि रास्ते में जा रही है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 479 में 494 मीटर भूमि रास्ते में जा रही है। प्रार्थीगण की 329 मीटर भूमि रास्ते में अधिक जा रही है। हम अधिक भूमि की राशि देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रा. पत्र

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित रास्ते को गै.मु. रास्ता घोषित किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा चाहा गया रास्ता नीमकाथाना पाटन सड़क ख0न0 798 से होकर राजकीय भूमि खसरा नम्बर 791 किस्म बजड़ में से होता हुआ अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 480 किस्म बारानी 3 तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 479 किस्म बजड़ से होकर अप्रार्थी सं. 1 कि खातेदारी भूमि ख0न0 481 तक प्रस्तावित किया गया है। जिसे सलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। चाहा गया रास्ता अत्यन्त आवश्यक होना व न्यून्तम दूरी का होना एवं वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है एवं रास्ता दिया जाना उचित माना है। उभय पक्ष भी प्रस्तावित रास्ते से सहमत है तथा कम अधिक भूमि की राशि देने व लेने हेतु भी सहमत है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं खातेदारों को रास्ते की आवश्यक्ता को देखते हुये न्यायहीत में प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम एवं अप्रार्थी सं. 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र मुताबिक प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भगेश्वर तहसील नीमकाथाना में नीमकाथाना–पाटन सड़क ख0न0 798 से होकर राजकीय भूमि खसरा नम्बर 791 किस्म बजड़ में से 732 मीटर, अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 480 किस्म बारानी 3 में 165 मीटर तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 479 किस्म बजड़ से 494 मीटर, अप्रार्थी सं. 1 कि खातेदारी भूमि ख0न0 481 तक प्रस्तावित रास्ता जो नक्शा मे दर्शाया गया है जिसमें ख.न. 791 राजकीय भूमि में 732 मीटर में जो रास्ता दर्शाये गया है उक्त 732 मीटर भूमि की डी.एल.सी की दोगुना राशि अनुसार गणना कर राजस्थान सरकार के खाते में जमा करावें तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की कम अधिक भूमि की डी.एल.सी की दोगुना राशि अनुसार गणना कर जमा करवाकर वितरण की जाकर एनेक्सर–1 एवं एनेक्सर–2 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)